 भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 705

जिसका उत्तर शुक्रवार, 8 फरवरी, 2019 को दिया जाना है

**न्यायाधीशों का वेतन और परिलब्धियां**

**705. श्री परिमल नथवानी :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्चतम न्यायालय के साथ-साथ गुजरात और झारखंड सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है; (ख) उच्च न्यायालयों और देश के उच्चतम न्यायालय में लंबित पड़े फौजदारी और दीवानी दोनों मुकदमों की राज्य-वार संख्या कितनी-कितनी है ;

(ग) सरकार द्वारा देश में उच्च न्यायपालिका के तनाव और बोझ को कम करने के लिए विगत चार वर्ष़ों में क्या-क्या कदम उठाये गए हैं ; और

(घ) क्या सरकार ने देश में न्यायाधीशों के वेतन और परिलब्धियों में वृद्धि की है ताकि उनके जीवन स्तर को उठाकर विकसित देशों के न्यायाधीशों के बराबर लाया जा सके, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय तथा कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री (श्री पी.पी.चौधरी)**

**(क) से (घ) :** विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-1** पर है । उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में लंबित मामलों (दांडिक और सिविल दोनों) की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-2** पर है । न्यायाधीशों के वेतन और परिलब्धियों को दर्शाने वाला विवरण **उपाबंध-3** पर है ।

उच्च न्यायालयों में रिक्तियों का भरा जाना न्यायपालिका और कार्यपालिका की एक सतत् और सहयोगकारी प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न सांविधानिक प्राधिकारी सम्मिलित होते हैं। वर्ष 2015-2018 के दौरान, उच्चतम न्यायालय में 18 न्यायाधीश नियुक्ति किए गए है और विभिन्न उच्च न्यायालयों में 384 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं । सरकार ने उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पद संख्या में मई, 2014 में 906 से वर्तमान में 1079 तक की वृदधि भी की है।

मामलों के त्वरित निपटान और न्याय तक पहुच में सुधार करने के लिए मामलों के लंबन में कमी करने के लिए, विगत चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निम्नलिखित मध्यक्षेप किए गए हैः-

(i). वर्ष 2015 में, राज्यों के मुख्यमंत्री और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों के संयुक्त सम्मेलन में लिए गए विनिश्चयों के अनुसरण में ऐसे मामले जो पांच वर्ष से अधिक लंबित हैं, को सर्वोच्च प्राथमिकता पर समनुदेशित करने के लिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों में वकाया समिति की स्थापना की गई है ।

(ii). अप्रैल, 2015 में, सरकार ने सभी राज्यों को देश में न्यायिक तंत्र की कार्यप्रणाली में सुधार करने और त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के लिए कहा था ।

(iii). सितम्बर, 2016, मई, 2017 और अगस्त, 2018 में विधि और न्याय मंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायामूर्तियों को जिला और अधीनस्थ न्यायपालिका की संवर्ग सदस्य-संख्या में वृदधि करने और नियमित रुप से रिक्तियों की प्रास्थिति को मानीटर करने के लिए लिखा था ।

सरकार ने न्यायपालिका द्वारा मामलों के त्वरित निपटान के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित पहल की है ।

1. न्याय परिदान और विधिक सुधारों के लिए राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की गई है।
2. जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों के लिए अवसंरचना (न्यायालय हॉल और आवासीय इकाईयां) सुधार ।
3. बेहतर न्याय परिदान के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) का लाभ उठाना ।
4. विशेष प्रकार के मामलों का त्वरित निपटान करने के लिए अनुकल्पी विवाद समाधान (एडीआर) पर जोर ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

**उपाबंध-1**

**न्यायाधीशों का वेतन और परिलब्धियां से संबधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 705 जिसका उत्तर तारीख 08.02.2019 को दिया जाना है के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

**( As on 01.02.2019)(01.02.2019 की स्थिति के अनुसार)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sl.क्र.सं.No.** | **Name of the Courtन्यायालय का नाम** | **Sanctioned Strength of Judgesन्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या** | **Working Strength of Judgesन्यायाधीशों की कार्यरत पद संख्या** | **Vacanciesरिक्तियां** |
| **कAकक** | **Supreme Court of Indiaभारत का उच्चतम न्यायालय** | **3131** | **2828** | **0303** |
| **Bख** | **High Courtउच्च न्यायालय** |  |  |  |
| **11** | **Allahabadइलाहाबाद** | **160160** | **108108** | **5252** |
| **22** | **Andhra Pradeshआंध्र प्रदेश** | **3737** | **1313** | **2424** |
| **33** | **Bombayबंबई** | **9494** | **7070** | **2424** |
| **44** | **Calcuttaकलकत्ता** | **7272** | **3636** | **3636** |
| **55** | **Chhattisgarhछत्तीसगढ़** | **2222** | **1515** | **0707** |
| **66** | **Delhiदिल्ली** | **6060** | **3838** | **2222** |
| **77** | **Gauhatiगुवाहाटी** | **2424** | **2020** | **0404** |
| **88** | **Gujaratगुजरात** | **5252** | **2828** | **2424** |
| **99** | **Himachal Pradeshहिमाचल प्रदेश** | **1313** | **0808** | **0505** |
| **1010** | **Jammu & Kashmirजम्मू - कश्मीर** | **1717** | **0909** | **0808** |
| **111 1** | **Jharkhandझारखंड** | **2525** | **1818** | **0707** |
| **1212** | **Karnatakaकर्नाटक** | **6262** | **3131** | **3131** |
| **1313** | **Keralaकेरल** | **4747** | **3737** | **1010** |
| **1414** | **Madhya Pradeshमध्य प्रदेश** | **5353** | **3434** | **1919** |
| **1515** | **Madrasमद्रास** | **7575** | **6060** | **1515** |
| **1616** | **Manipurमणिपुर** | **0505** | **0303** | **0202** |
| **1717** | **Meghalayaमेघालय** | **0404** | **0303** | **0101** |
| **1818** | **Orissaओडिशा** | **2727** | **1515** | **1212** |
| **1919** | **Patnaपटना** | **5353** | **2727** | **2626** |
| **2020** | **Punjab& Haryanaपंजाब और हरियाणा** | **8585** | **5353** | **3232** |
| **2121** | **Rajasthanराजस्थान** | **5050** | **2525** | **2525** |
| **2222** | **Sikkimसिक्किम** | **0303** | **0303** | **00** |
| **2323** | **Telanganaतेलंगाना** | **2424** | **1313** | **111 1** |
| **2424** | **Tripuraत्रिपुरा** | **0404** | **0303** | **0101** |
| **2525** | **Uttarakhandउत्तराखंड** | **1111** | **0909** | **0202** |
| **कुल** | | **1079** | **679** | **400** |

**Annexure-II** **उपाबंध-2**

**न्यायाधीशों का वेतन और परिलब्धियां से संबधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 705 जिसका उत्तर तारीख 08.02.2019 को दिया जाना है के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Sl.क्र.सं.  No. | Name of Courtनन्यायालय का नाम | Total Pending Cases –Civil, Criminal, Writकुल लंबित मामले -सिविल, दांडिक, रिट |
| **Aक** | **Supreme Court of Indiaभारत का उच्चतम न्यायालय** | **58029 (As on 01.02.2019)58029 (01.02.2019 को)** |
| **Bख** | **High Courtsउच्च न्यायालय** | **As on 05.02.201905.02.2019 को** |
| **11** | **Allahabad High Courtइलाहाबाद उच्च न्यायालय** | **727145727,145** |
| **22** | **Calcutta High Courtकलकत्ता उच्च न्यायालय** | **2067720,677** |
| **33** | **Gauhati High Courtगुवाहाटी उच्च न्यायालय** | **4103941039** |
| **44** | **Bombay High Courtबंबई उच्च न्यायालय** | **267809267,809** |
| **55** | **Chhattisgarh High Courtछत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय** | **6331263,312** |
| **66** | **Delhi High Courtदिल्ली उच्च न्यायालय** | **7470974,709** |
| **77** | **Gujarat High Courtगुजरात उच्च न्यायालय** | **115359115,359** |
| **88** | **Himachal Pradesh High Courtहिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय** | **3671136,711** |
| **99** | **Jammu and Kashmir High Courtजम्मू - कश्मीर उच्च न्यायालय** | **7853178,531** |
| **1010** | **Jharkhand High Courtझारखंड उच्च न्यायालय** | **8822988,229** |
| **111 1** | **High Court of Judicature At Hyderabadहैदराबाद उच्च न्यायालय** | **363390363,390** |
| **1212** | **Karnataka High Courtकर्नाटक उच्च न्यायालय** | **239425239,425** |
| **1313** | **Kerala High Courtकेरल उच्च न्यायालय** | **191336191,336** |
| **1414** | **Madhya Pradeshमध्य प्रदेश** | **334433334,433** |
| **1515** | **Manipur High Courtमणिपुर उच्च न्यायालय** | **47864786** |
| **1616** | **Meghalaya High Courtमेघालय उच्च न्यायालय** | **11121112** |
| **1717** | **Punjab & Haryana High Courtपंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय** | **375441375,441** |
| **1818** | **Rajasthan High Courtराजस्थान उच्च न्यायालय** | **449816449,816** |
| **1919** | **Sikkim High Courtसिक्किम उच्च न्यायालय** | **263263** |
| **2020** | **Tripura High Courtत्रिपुरा उच्च न्यायालय** | **29732973** |
| **2121** | **Uttrakhand High Courtउत्तराखंड उच्च न्यायालय** | **5639256,392** |
| **2222** | **Madras High Courtमद्रास उच्च न्यायालय** | **401321401,321** |
| **2323** | **Orissa High Courtउड़ीसा उच्च न्यायालय** | **158523158,523** |

**Annexure-III**  **उपाबंध-3**

**न्यायाधीशों का वेतन और परिलब्धियां से संबधित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 705 जिसका उत्तर तारीख 08.02.2019 को दिया जाना है के भाग (घ) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Headशीर्ष** | **Designationपदभार** | **Old salary under Sixth Central Pay Commission.छठे केंद्रीय वेतन आयोग के अधीन पुराना वेतन।**  **(Rs. pm)(रु प्रति मास)** | **01.01.2016 से लागू New Salary according to Seventh Pay Commission (Rs. pm) wef 1.1.2016सातवें वेतन आयोग के अनुसार नया वेतन (रु प्रतिमास)** |
| **Salaryवेतन** | **Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायमूर्ति** | **1,00,0001,00,000** | **2,80,0002,80,000** |
| **Judges of Supreme Court and Chief Justice of High Courtsउच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति** | **90,00090,000** | **2,50,0002,50,000** |
| **Judge of High Courtउच्च न्यायालय के न्यायाधीश** | **80,00080,000** | **2,25,0002,25,000** |
| **Sumptuary Allowanceसत्कार भत्ता** | **Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश** | **20,00020,000** | **45,000 (wef 22.9.2017)45,000 (22.9.2017 से लागू)** |
| **Judges of Supreme Court and Chief Justice of High Courtsउच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति** | **15,00015,000** | **34,000 (wef 22.9.2017)34,000 (22.9.2017 से लागू)** |
| **Judge of High Courtउच्च न्यायालय के न्यायाधीश** | **12,00012,000** | **27,000 (wef 22.9.2017)27,000 (22.9.2017 से लागू)** |
| **\*Furnishing Allowance\* साज-सज्जा भत्ता**  **One time paymentएक - बारगी संदाय** | **Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायाधीश** | **5,00,0005,00,000** | **10,00,000 (wef 19.3.2018)10,00,000 (19.3.2018 से लागू)** |
| **Judges of Supreme Court and Chief Justice of High Courtsउच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति** | **4,00,0004,00,000** | **8,00,000 (wef 19.3.2018)8,00,000 (19.3.2018 से लागू)** |
| **Judge of High Courtउच्च न्यायालय के न्यायाधीश** | **3,00,0003,00,000** | **6,00,000 (wef 19.3.2018)6,00,000 (19.3.2018 से लागू)** |
| **Electricity and Waterबिजली और पानी** | **Chief Justice of India/Judges of Supreme Courtभारत के मुख्य न्यायमूर्ति / उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश** | **Freeमुफ्त** | **Freeमुफ्त** |
| **Chief Justice of High Courts /Judge of High Courtउच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति / उच्च न्यायालय के न्यायाधीश** | **3600 kiloliters of Water and 10,000 units of Power per annum3600 किलोलीटर पानी और 10,000 यूनिट बिजली प्रति वर्ष** | **3600 kiloliters of Water and 10,000 units of Power per annum3600 किलोलीटर पानी और 10,000 यूनिट बिजली प्रति वर्ष** |
| **Pension (Maximum)पेंशन (अधिकतम)** | **Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायमूर्ति** | **6,00,000 (per annum) + DR6,00,000 (प्रति वर्ष) + डीआर** | **16,80,000 (per annum) + DR16,80,000 (प्रति वर्ष) + मंहगाई भत्ता** |
| **Judges of Supreme Court and Chief Justice of High Courtsउच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति** | **5,40,000 (per annum) + DR5,40,000 (प्रति वर्ष) + डीआर** | **15,00,000 (per annum) + DR15,00,000 (प्रति वर्ष) + मंहगाई भत्ता** |
| **Judge of High Courtउच्च न्यायालय के न्यायाधीश** | **4,80,000 (per annum) + DR4,80,000 (प्रति वर्ष) + डीआर** | **13,50,000 (per annum) + DR13,50,000 (प्रति वर्ष) + मंहगाई भत्ता** |
| **Gratuity (Maximum)ग्रेच्युटी (अधिकतम)**  **One time payment.एक - बारगी भुगतान।** | **Chief Justice of Indiaभारत के मुख्य न्यायमूर्ति** | **10,00,00010,00,000** | **20,00,00020,00,000** |
| **Judges of Supreme Court and Chief Justice of High Courtsउच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति** | **10,00,00010,00,000** | **20,00,00020,00,000** |
| **Judge of High Courtउच्च न्यायालय के न्यायाधीश** | **10,00,00010,00,000** | **20,00,00020,00,000** |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

जहां कोई न्यायाधीश स्वयं शासकीय निवास का उपभोग नहीं करता है उसे वेतन का 24 % रकम के समतुल्य भत्ता प्रतिमाह संदत्त किया जा सकेगा जिसमें 27% की दर से वृद्धि होगी, जब मंहगाई भत्ता 25 % से पार कर जाएगा और 30% की दर से वृद्धि होगी जब मंहगाई भत्ता 50 % से पार कर जाएगा ।

एचआरए का नया दर तारीख 01.07.2017 से प्रभावी है ।

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*